

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2552233

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-589/८०९

रायपुर, दिनांक 25/03/2017

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
सरगुजा वन मंडल, सरगुजा
छत्तीसगढ़

विषय: - **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 under widening and upgrading of NH-78 to 2-Lane with Paved shoulder from Ambikapur to Pathalgaon area - 31.104 - regarding.**

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त सरगुजा का पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.-19/2017/415 दिनांक 04.03.2017

-00-

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत **NH-78 to 2-Lane with Paved shoulder from Ambikapur to Pathalgaon** कुल क्षेत्र 31.104 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रेषित परियोजना प्रतिवेदन में आनलाईन परीक्षण में निम्नानुसार कमियां पायी गई है:-

1. आनलाईन प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट "I" के कॉलम न. बी-2 में वनमंडलवार क्षेत्रफल के विवरण में सूरजपुर - 7.185 हे., सरगुजा - 23.077 हे. एवं जशपुर 0.842 हे. कुल क्षेत्रफल = 31.104 हे. हेतु व.सं.अ. 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन के लिए आवेदन आनलाईन दिया गया था परन्तु वनमंडलाधिकारी द्वारा आनलाईन प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट "II" के कॉलम न. -2 में वनमंडलवार क्षेत्रफल के विवरण में सूरजपुर - 6.645 हे. , सरगुजा - 23.077 हे. कुल क्षेत्रफल = 29.722 । फार्म - ए के पार्ट "I" से फार्म - ए के पार्ट "II" में कुल 1.382 हे. का अंतर है तथा जशपुर वनमंडल में वन भूमि की जानकारी निरंक है। चूंकि संदर्भित पत्र में आवेदक द्वारा आवेदित फार्म ए में जो जानकारी व्यपवर्तन हेतु दी गई वही दी गई तो फिर आनलाईन में अंतर क्यों दर्शित है। कारण स्पष्ट करें।
2. फार्म - ए के पार्ट "I" एवं फार्म - ए के पार्ट "II" की मूल हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
3. वैकल्पिक वृक्षारोपण की जानकारी जिस वनमंडल में दी गई है सिर्फ उन्ही वन मंडल में .KML एवं मानचित्र अपलोड किए जाए।
4. डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट, के.एम.एल फाईल तथा शेप फाईल प्रस्तावित क्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र मय सी.डी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें एवं सत्यापन उपरांत आनलाईन अपलोड भी करें।
5. प्रस्ताव की एक मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करें।
6. एन.पी.वी का गणना पत्रक संलग्न करें।
7. प्रस्तावित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न करें। यह कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के पूर्व का होना चाहिए। आनलाईन कलेक्टर कार्यालय से भी अपलोड करावें।
8. वनमंडलाधिकारी का नाम एवं सील विधिवत् दर्शित हो।
9. प्रस्तावित क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यप्राणी एवं वृक्षों के वैज्ञानिक नामों की सूची प्रस्ताव में संलग्न करें।

त्रुटियों को सुधार कर नवीन टाईम लाईन मय हस्ताक्षर के प्रस्तुत करें। अपूर्ण प्रस्ताव किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। प्रकरण EDS किया जा रहा है वृत्त कार्यालय में।

विशेष:- निर्देशानुसार लेख है कि कार्य में सुधार करें।

संलग्न:- 4 प्रति प्रस्ताव की आवेदक के हस्ते मूलतः वापिस किया गया है।

(वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध) / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 25/03/2017

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-589/८१०

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़। वृत्त कार्यालय में क्या परीक्षण हुआ ?
- वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी, जशपुर वन मंडल, छत्तीसगढ़।

- Chief Engineer, Public Works Department, National Highway Zone, Pentionwad Chhattisgarh

क्रमशः 2

वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

(वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध) / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़